भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये
रु. 10

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 973371

श्री मदन सिंह शिक्षा समिति
38 गली नं 5 गांधी नगर
फिरोजाबाद

सचिव
श्री मदन सिंह शिक्षा समिति
38 गांधी नगर फिरोजाबाद

स्मृति पत्र

1.संस्था का नाम - श्री उदल सिंह शिक्षा समिति

2.संस्था का पता - 38 गली 5- गांधी नगर फिरोजाबाद

3.संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था का उद्देश्य -

1. संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र- छात्राओं का सामाजिक, नैतिक-बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक,शारीरिक,सांस्कृतिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2 संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालय, तक के विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा का समुचित विकास करना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, एवं हार्डवेयर,तकनीकी शिक्षा तथा कम्प्यूटर एवं अन्य का ज्ञान निःशुल्क उपलब्ध कराना।

3. संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की निःशुल्क समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला, की निःशुल्क व्यवस्था करना।

4. संस्था का उद्देश्य हिन्दी भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, आदि प्रचलित भाषाओं एवं साहित्य विज्ञान टैक्नीकल तथा निःशुल्क प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करना।

5. संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण देकर / दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना।

6. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ नियोजित कोषों में व्यय करना।

7. संस्था का उद्देश्य समय - समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

8. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार , निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,हस्तशिल्पकला, वास्तुकला , दस्तकारी, दरी, कालीन ड्राइंग पेंटिंग कला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

9. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र. के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता,साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृशिशु पोषण,महिला एवं बाल विकासकार्यक्रम,बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को निःशुल्क चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर निःशुल्क जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

10. कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध करना व चलाना व नवयुवक-युवतियों को कम्प्यूटर के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर से वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

11. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह-जगह वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बचाने प्रयास करना।

सचिव
श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
38 गाँधी नगर फिरोजाबाद

संस्था का नाम :– श्री छदल सिंह शिक्षा समिति, 38, गली नं0–5, गाँधी नगर, फिरोजाबाद।

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2022–2025

क्र0सं0 नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री सुरेश चन्द	श्री राम [illegible]	मंदिर के पास, मैन रोड, आसफाबाद जिला फिरोजाबाद।	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्री गोपाल सिंह	स्व0श्री नाथूराम	30, गाँधी नगर, फिरोजाबाद।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–श्री सतीश दिवाकर	स्व0श्री छदल सिंह दिवाकर	38, गली नं0–5, गाँधी नगर फिरोजाबाद।	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार
4–श्रीमती शशी	श्री किशन [illegible]	406/10, [illegible], मथुरा।	उपप्रबन्धक/उपसचिव	गृहणी
5–श्रीमती सारिका	श्री सुभाष चन्द	32, गाँधी नगर, फिरोजाबाद।	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
6–श्री प्रताप सिंह	श्री रमेश चन्द	आसफाबाद जिला फिरोजाबाद।	सदस्य	व्यापार
7–श्री रणवीर शर्मा	श्री राम सिंह शर्मा	[illegible] हॉस्पिटल के सामने [illegible] आसफाबाद, फिरोजाबाद।	सदस्य	शिक्षक
8–श्री विशम्भर दयाल	श्री [illegible] सिंह	म0 नं0–242, गली नं0–4, [illegible] जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	नौकरी
9–श्री संतोष कुमार	श्री [illegible] लाल	मंदिर के पास, मैन रोड, आसफाबाद जिला फिरोजाबाद।	सदस्य	नौकरी
10–श्री रवि कुमार	श्री [illegible]	म0 नं0–87, मंदिर के पास मैन रोड, आसफाबाद, फिरोजाबाद।	सदस्य	व्यापार
11–श्री अजय पाल सिंह	श्री चन्द्र पाल	म0 नं0–540, [illegible] कॉलोनी आसफाबाद, फिरोजाबाद।	सदस्य	व्यापार
12–श्री गुलाब सिंह	स्व0श्री [illegible] लाल	30, गाँधी नगर, फिरोजाबाद।	सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं., आगरा

सचिव
श्री छदल सिंह शिक्षा समिति
38 गाँधी नगर फिरोजाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AB 363183

श्री उदल सिंह शिक्षा समिति / 38 गांधी नगर फिरोजाबाद / फिरोजाबाद 424446

प्रबन्धक/सचिव 20.12.12

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

प्रबन्धक / सचिव

श्री उदल सिंह महाविद्यालय

फिरोजाबाद

स्टाम्प विक्रेता

12-2-13

सचिव

श्री उदल सिंह शिक्षा समिति

38 गांधी नगर फिरोजाबाद

नियमावली

1.संस्था का नाम - श्री ऊदल सिंह शिक्षा समिति

2.संस्था का पता - 38, गली 5 गांधी नगर, फिरोजाबाद

3.संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।

4.संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार ।

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1.संरक्षक सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को 1000/- रूपये एक मुश्त या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप मे देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3.साधारण सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/-रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4.विशिष्ट सदस्य -

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव मे मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतो से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा से स्वीकृत होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
7. संस्था के अहित मे कार्य करने पर

सचिव हस्ताक्षर

श्री ऊदल सिंह शिक्षा समिति

38 गाँधी नगर फिरोजाबाद

-3-

संस्था के अंग :- 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

8 साधारण सभा –

गठन –

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक –

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

सूचना अवधि –

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति – गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति की 2/3 बहुमत से तय कर ली जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति –

गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यो को चुनकर किया जायेगा जिसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष,एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।सदस्यो की संख्या आवश्यकतानुसारघटाई – बढ़ाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी ।

बैठक – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।

सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को 7 दिनपूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति – गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्धन ... 2/3 बहुमत से करना ।

सचिव

श्री ... सिंह शिक्षा समिति

38 गांधी नगर फिरोजाबाद

(178)

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना।

4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों,प्रतिष्ठानों,निकायों,नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा,एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के विकास एवं पैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

ख. कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –

1. अध्यक्ष –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगो की अध्यक्षता करना।

2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

3. संस्था के की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

उपाध्यक्ष:–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौपे गये स्वीकृत कार्यो को करना, सामान्य व विशेष परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक/ सचिव –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।

2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रचार-प्रसार करना।

3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

4. संस्था की आम चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान,अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।

5. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

6. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना तथा उनकी सेवा शर्तें के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव:–

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपे गये कार्यों को करना एवं उपस्थिति में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक/सचिव
श्री ऊदल सिंह महाविद्यालय
[illegible], फिरोजाबाद

सचिव
श्री ऊदल सिंह शिक्षा समिति
[illegible] नगर फिरोजाबाद

174

कोषाध्यक्ष

1– संस्था के आय–व्यय विवरण को रखना ।

2– प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया –

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था –

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक , अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

संस्था द्वारा संचालित विद्यालय की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित खाता विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सहा0 अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व – संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख –

1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजेण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन –

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जायेगी ।

दिनांक– 10/3/08

सत्यप्रतिलिपि

सचिव

श्री ... सिंह शिक्षा समिति

38 गाँधी नगर फिरोजाबाद